उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून
दूरभाष नo– 0135–2662021, फैक्स नo– 0135–2662180
ईमेल : secy-uic@gov.in वैब: http://uic.uk.gov.in

पत्रांक 12330 / उ0सू0आ0 / 2024–25 दिनांक 25.03. 2026

सेवा में,

1. समस्त सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. समस्त आयोग / परिषद / बोर्ड / अभिकरण / प्राधिकरण / निगम, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।

विषय :– आर0टी0आई0 ऑनलाइन पोर्टल के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा ***Writ Petition (Civil) No-1040 of 2019] Pravasi Legal Cell Vs Union of India and others*** में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 के माध्यम से समस्त राज्यों को यह निर्देशित किया गया है कि सभी लोक प्राधिकरणों में ऑनलाइन आर०टी०आई० की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उक्त आदेश के अनुपालन में उत्तराखण्ड राज्य में ऑनलाइन सूचना का अनुरोध पत्र, प्रथम अपील तथा शुल्क जमा करने की सुविधा नागरिकों को उपलब्ध कराने हेतु आर०टी०आई० ऑनलाइन पोर्टल (***https://rtionline-uk-gov-in***) विकसित किया गया है।

पोर्टल पर कार्य संचालन हेतु शासन स्तर, विभागाध्यक्ष स्तर तथा कतिपय विभागों में मण्डलध्जनपद स्तर पर नामित नोडल अधिकारियों को आयोग द्वारा आई०डी० एवं पासवर्ड उपलब्ध कराए गए हैं। नोडल अधिकारियों के सहयोग से उनके अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारियों एवं विभागीय अपीलीय अधिकारियों की आई०डी० एवं पासवर्ड तैयार कर संबंधित को उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही, नोडल अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारियों की सहायता हेतु पोर्टल पर प्रशिक्षण वीडियो एवं यूजर मैनुअल भी उपलब्ध कराया गया है।

नागरिकों एवं पोर्टल के माध्यम से संज्ञान में आया है कि पोर्टल पर कार्य करने हेतु नामित अधिकारियों द्वारा अपेक्षित रूप से कार्य नहीं किया जा रहा है, जिसके संबंध में नागरिकों द्वारा समय–समय पर आपत्तियां दर्ज कराई जा रही हैं। प्रमुख रूप से प्राप्त आपत्तियां निम्नानुसार हैं –

नोडल अधिकारी के स्तर पर

क्रम	प्राप्त आपत्तियाँ	नोडल अधिकारी से अपेक्षा
1.	पोर्टल पर प्राप्त अनुरोध पत्र और प्रथम अपील को समय पर अंतरित न किया जाना अथवा विलम्ब से अंतरित किया जाना।	प्रत्येक नोडल अधिकारी प्रतिदिन कम से कम दो बार पोर्टल लॉगिन कर अनुरोध पत्र / प्रथम अपील को उसी दिन संबंधित अधिकारी को अंतरित करें।
2.	अन्य लोक प्राधिकरण से स्थानान्तरित होकर प्राप्त अनुरोध पत्र को शुल्क प्राप्त न होने के आधार पर अस्वीकार किया जाना।	पोर्टल पर नागरिक द्वारा 10 रू0 आवेदन शुल्क जमा कर अथवा बी0पी0एल0 होने की स्थिति में उसका विवरण दर्ज कर आवेदन किया जाता है। अन्य विभाग से अंतरित अनुरोध पत्र पर आवेदन शुल्क पोर्टल पर शून्य प्रदर्शित होता है अतः ऐसे प्रकरणों में शुल्क के अभाव में आवेदन पत्र अस्वीकार करना उचित नहीं है।

3.	नोडल अधिकारी के स्थानान्तरण/सेवानिवृत्त होने पर पोर्टल से संबंधित कार्यभार अन्य अधिकारी को हस्तांतरित न किया जाना।	स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति की स्थिति में समय से कार्यभार अन्य अधिकारी को सौंपना सुनिश्चित किया जाए।
4.	नोडल अधिकारी के स्थानान्तरण/सेवानिवृत्त होने पर नये नोडल अधिकारी का विवरण पोर्टल पर संशोधित न किया जाना।	नोडल अधिकारी के स्थानान्तरण/सेवानिवृत्त होने पर नोडल अधिकारी का विवरण तत्काल अपडेट किया जाए। इस हेतु नोडल अधिकारी की आई0डी0 पर विवरण अपडेट करने का विकल्प प्रदान किया गया है। नोडल अधिकारी मास्टर ऑप्डेशन के ऑप्शन मे जाकर पब्लिक ऑथोरिटी के ऑप्शन का चयन कर विवरण को अपडेट कर सकते हैं।
5.	पोर्टल पर लोक सूचना अधिकारी/ विभागीय अपीलीय अधिकारी का पदनाम व कार्यालय का पूर्ण पता पोर्टल पर अंकित न किया जाना।	लोक सूचना अधिकारी/ विभागीय अपीलीय अधिकारी की आई0डी0 तैयार करते समय कुछ नोडल अधिकारी के द्वारा अधिकारी का नाम और कार्यालय का पता संक्षिप्त में अंकित किया गया है। अधिकारी का स्पष्ट पदनाम और कार्यालय पूर्ण पता अंकित किया जाना अपेक्षित है। नोडल अधिकारी के स्तर से उक्त विवरण को यथशीघ्र मास्टर अपडेट विकल्प में जाकर संशोधित किया जाना अपेक्षित है।
6.	समस्त लोक सूचना अधिकारियों और विभागीय अपीलीय अधिकारियों की आई0डी0 और पासवर्ड तैयार न किया जाना अथवा उपलब्ध न कराया जाना।	नोडल अधिकारी के द्वारा संबंधित लोक प्राधिकरण में नामित समस्त लोक सूचना अधिकारियों और विभागीय अपीलीय अधिकारियों का आई0डी0 और पासवर्ड तैयार कर उन्हें उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। साथ ही पोर्टल के माध्यम से नोडल अधिकारी के द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लोक सूचना अधिकारी/विभागीय अपीलीय अधिकारी के द्वारा अनुरोध पत्र/प्रथम अपील का निस्तरण समय पर किया जा रहा है अथवा नहीं। नोडल अधिकारी पोर्टल पर रिपोर्ट अथवा लॉगिन हिस्ट्री के माध्यम से लोक सूचना अधिकारी/विभागीय अपीलीय अधिकारी की गतिविधियों का अवलोकन कर सकते हैं।

लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर

क्रम	प्राप्त आपत्तियाँ	लोक सूचना अधिकारी से अपेक्षा
1.	पोर्टल पर नियमित लॉगिन न करना।	पोर्टल को प्रतिदिन कम से कम दो बार लॉगिंन करना सुनिश्चित करें।
2.	अतिरिक्त शुल्क की मांग ऑफलाइन माध्यम (डाक) से किया जाना।	अतिरिक्त शुल्क की मांग केवल पोर्टल के माध्यम से ही की जाए, जिससे नागरिक ऑनलाइन भुगतान कर सकें।
3.	ऑनलाइन प्राप्त आवेदन का निस्तारण ऑफलाइन करना।	आवेदन का निस्तारण पोर्टल के माध्यम से ही किया जाए। यदि मांगी गयी सूचना 05 एम0बी0 से अधिक हो रही है तो उसे सूचना प्रेषित किये जाने हेतु लिखा जाने वाले पत्र की प्रति ऑपलोड करते हुए कमेंट्स बॉक्स में "सूचना पंजीकृत डाक के द्वारा प्रेषित की जा रही है" की टिप्पणी के साथ अनुरोध पत्र का निस्तारण किया जाना चाहिए। नागरिक के द्वारा प्रमाणित प्रति अथवा छायाप्रति की मांग किये जाने पर यदि सूचना उस रूप में धारित है तो उसी रूप में प्रेषित किया जाए। परन्तु ऐसी सूचनाओं को पोर्टल पर भी अपलॉड किया जाए।

4.	पोर्टल पर अनिस्तारित अनुरोध पत्रों की संख्या में वृद्धि	पोर्टल पर प्रदर्शित अनिस्तारित अनुरोध पत्रों का निस्तारण ऑफलाइन माध्यम से किया जा चुका है, तो उन्हें पोर्टल पर भी ऑनलाइन रूप से निस्तारित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी अनुरोध पत्र का निस्तारण अभी तक नहीं किया गया है, तो ऐसे अनुरोध पत्रों को उच्च प्राथमिकता पर रखते हुए शीघ्र निस्तारित किया जाना अपेक्षित है।

विभागीय अपीलीय अधिकारी के स्तर पर

कम	प्राप्त आपत्तियाँ	विभागीय अपीलीय अधिकारी से अपेक्षा
1.	पोर्टल पर नियमित लॉगिन न करना।	पोर्टल को प्रतिदिन कम से कम दो बार लॉगिंन करना सुनिश्चित करें।
2.	प्रथम अपील की सुनवाई की तिथि पोर्टल पर प्रदर्शित न किया जाना	सुनवाई की तिथि अनिवार्य रूप से पोर्टल पर दर्ज की जाए।
3.	प्रथम अपील का निस्तारण आदेश पोर्टल पर अपलॉड न किया जाना	निस्तारण आदेश पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाए। ऑनलाइन प्रथम अपील का निस्तरण आदेश डाक के माध्यम से प्रेषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।
4	पोर्टल पर अनिस्तारित प्रथम अपील की संख्या में वृद्धि	पोर्टल पर प्रदर्शित अनिस्तारित प्रथम अपील का निस्तारण किया जा चुका है, तो उन्हें पोर्टल पर भी ऑनलाइन रूप से निस्तारित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी प्रथम अपील का निस्तारण अभी तक नहीं किया गया है, तो उच्च प्राथमिकता पर रखते हुए उसका निस्तारण शीघ्र किया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्त संदर्भ में मा0 मुख्य सूचना आयुक्त महोदया के द्वारा आपसे यह अनुरोध करने के निर्देश हुए है कि आर0टी0आई0 ऑनलाइन पोर्टल पर उपरोक्त निर्देशानुसार कार्य करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित ***Writ Petition(Civil) N0 1040 of 2019, Pravasi Legal Cell Vs Union of india and others*** के आदेश दिनांक 20.03.2023 में मा0 उच्चतम न्यायालय ने समस्त लोक प्राधिकारियों को आर0टी0आई0 ऑनलाइन पोर्टल से जोड़े जाने के आदेश दिए गए हैं। पोर्टल पर राज्य के समस्त लोक प्राधिकारियों को न जोड़े जाने के आधार पर मा0 उच्चतम न्यायालय में ***Contempt Petition (Civil)Diary no. 36812 of 2024 Anuj Nakade Vs Poonam Malakondaiah and others*** दायर की गयी है जोकि मा0 उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। इस संदर्भ में अनुरोध करना है कि कोई लोक प्राधिकारी यदि पोर्टल पर जोड़े जाने से छूट गया है तो ऐसे लोक प्राधिकारी के नाम से आयोग को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

Digitally signed by RAZA ABBAS
Date: 24-03-2026 12:28:21

(रज़ा अब्बास)
सचिव

पत्रांक / उ0सू0आ0/2024–25 दिनांक 2024

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया शासन स्तर से भी आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्य सूचना आयुक्त को मा0 मुख्य सूचना आयुक्त महोदय के अवलोकनार्थ।
3. समस्त नोडल अधिकारियों/विभागीय अपीलीय अधिकारियों/लोक सूचना अधिकारियों को अनुपालनार्थ प्रेषित।

(रज़ा अब्बास)
सचिव